न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला-अशोकनगर (पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

<u>फाइलिंग नंबर 235103000122004</u> दांडिक प्रकरण क.-440/04 संस्थापित दिनांक—20.09.2004

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :
आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।
अभियोजन
विरुद्ध
01–निन्दर सिंह पुत्र सरदूल सिंह जाति सिख उम्र 22
साल निवासी गुडका, फतेहगढ, जिला गुना, म०प्र०।
02—माखन पुत्र वीरेंद्र सिंह जाति लोधी उम्र 20 साल
निवासी मोहरी।
आरोपीगण
राज्य द्वारा :– श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।
आरोपीगण द्वारा :– श्री पठान अधिवक्ता।

(आज दिनांक 26.05.2017 को घोषित)

- आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध यह 01-अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 341, 323, 324, 506बी, 34 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।
- प्रकरण में आरोपीगण की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है। 02-
- प्रकरण में उल्लेखनीय है कि आरोपीगण का फरियादी से राजीनामा हो 03-गया है जिसके फलस्वरूप आरोपीगण को भादवि की धारा 341, 323 / 34, 324 / 34 के

आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है। यह निर्णय भादवि की धारा 190 के संबंध में पारित किया जा रहा है।

- 04— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी लालसाहब ने दिनांक 08.01.2004 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि घटना दिनांक को आरोपीगण ने उसे रास्ते में रोक लिया और उसके साथ मारपीट की। आरोपी निन्दर ने लुहांगी से मारपीट की और रिपोर्ट करने पर से जान से खत्म करने की धमकी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध कमांक 03/04 के अंतर्गत भादिव की धारा 341, 323, 506 बी, 34 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
- 05— प्रकरण में आरोपीगण के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 341, 323/34, 324/34, 190 के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपीगण का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण नहीं किया गया।
- 06- प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--
 - 1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 08.01.2004 को शाम 6 बजे ग्राम मोहरी में फरियादी लाल साहब को लोकसेवक की संरक्षा में आवेदन देने से विरत रहने के लिए जान से मारने की धमकी दी ?

<u>—:: सकारण निष्कर्ष ::—</u>

- 07— अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 लालसाहब की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।
- 08— अभियोजन साक्षी 01 लालसाहब ने अपने कथन में बताया है कि वह

आरोपीगण को जानता है। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनांक को उसका आरोपीगण से वाद विवाद हो गया था। जिस पर से उसने आरोपीगण के विरुद्ध प्रपी 01 की रिपोर्ट लेखबद्ध करा दी थी। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि घटना दिनांक को आरोपीगण ने उसे रिपोर्ट करने से रोकने के लिए जान से मारने की धमकी दी थी। अभियोजन द्वारा उपरोक्त साक्षी के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी की साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अभियोजन साक्षी की साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता कि उक्त घटना दिनांक को आरोपीगण द्वारा फरियादी को रिपोर्ट करने से रोकने के लिए जान से मारने की धमकी दी थी।

- 09— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपीगण को भादि की धारा 190 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- 10— आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।
- 11- प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं है।
- 12— आरोपीगण अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया। मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)